



SYAMA PRASAD MOOKERJEE PORT KOLKATA
(FORMERLY KOLKATA PORT TRUST)

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता
हल्दिया गोदी परिसर

HALDIA DOCK COMPLEX

Finance Division's Office

Store Audit & Engineering Account Section

Jawahar Tower Complex, 4th Floor,

Haldia Township, Purba Medinipur-721607



SAGARMALA
PORT-LED PROSPERITY



संदर्भ सं. एफडी- 811/13/ एचपीए

दिनांक: 25 जून, 2021

ट्रेड परिपत्र

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता, हल्दिया गोदी परिसर से किसी भी प्रकार के सामान की आपूर्ति करने वाले सभी आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं हेतु ।

विषय:-आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194Q के अधीन टीडीएस की कटौती की घोषणा ।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता, पैन AAAJK0361L और टैन CALH02424C की ओर से हम यह पुष्टि करते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान व्यापार से हमारी कुल बिक्री/कुल प्राप्ति/टर्नओवर 10 (दस) करोड़ रुपये से अधिक रहा है। तदनुसार, हम आयकर अधिनियम की धारा 194Q के अधीन क्रेता की श्रेणी में आते हैं।

अतः उपरोक्त धारा के प्रावधानों के तहत दिनांक 01.07.2021 अथवा उसके बाद संबंधित विक्रेता द्वारा आपूर्ति के एवज में किए गए भुगतान/ क्रेडिट के मूलस्रोत पर कर कटौती वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 50 (पचास) लाख से अधिक की खरीद पर भुगतान / क्रेडिट पर 0.1 प्रतिशत की दर से किया जाएगा ।

चूंकि हम अधिनियम की धारा 194Q के अधीन मूलस्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी हैं, संबंधित विक्रेता यह सुनिश्चित करें कि दिनांक 01.07.2021 से प्रभावी अधिनियम की धारा 206C(1H) के तहत मूलस्रोत से कर एकत्र करने हेतु उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बशर्ते कि उक्त धारा के प्रावधान के अनुसार उनका टर्नओवर एवं हमारी खरीद 50 लाख रुपये से अधिक हो ।

धारा 194Q के गैर-अनुपालन का कोई भी परिणाम हमारे द्वारा वहन किया जाएगा ।

मैं, इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं यह घोषणा देने के लिए विधिवत अधिकृत हूँ।

अभिजीत गुप्ता

नाम: अभिजीत गुप्ता

पदनाम: महाप्रबंधक (वित्त) प्रभारी

दिनांक : 25.06.2021